UPJL010029052026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 316/2026

दिनेश आदि प्रति राज्य उत्तर प्रदेश
अपराध संख्या 706/2025
धारा 305, 331(4), 317(2), बी0एन0एस0 2023
थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।

12.06.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनेश पुत्र जोत सिंह निवासी ग्राम काकड़वा, थाना तांड़ा, जिला धार म0प्र0 एवं भारत पुत्र रमेश निवासी ग्राम चामझर, थाना तांड़ा, जिला धार म0प्र0 की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 706/2025 धारा 305, 331(4), 317(2), भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध हैं।

2. जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा संबंधित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 07.12.2025 को वादी मुकदमा कै0 सन्तोष कुमार द्वारा थाना कोतवाली उरई जिला जालौन पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 07.12.2025 को जब वह सुबह अपने घर आया तो आवासीय परिसर के कुछ व्यक्तियों द्वारा पता चला कि आज रात दिनांक 6/7 दिसम्बर 2025 को आवासीय परिसर टाइप–।। एवं टाईप–।।। में निम्नलिखित व्यक्तियों के क्वार्टर में चोरी हुयी है। चोरी वाले क्वार्टर में रात में कोई मौजूद नहीं था। चोरी हुए सामान की डिटेल पूरी जानकारी करके दी जायेगी, आज रात डियूटी के दौरान इन्चार्ज सूबेदार जगदेव सिंह एवं क्वार्टर के नजदीक पोस्ट डियूटी पर सु0कर्मी सोमेश कुमार ने गस्त एवं डियूटी चैक की थी। पुष्पा पत्नी चन्द्रपाल टाईप–।। ब्लाक डी2, मशलीन पत्नी विशाल टाईप–।।। ब्लाक एल3, संध्या विश्वकर्मा पत्नी रामविनय टाईप–।।। ब्लाक 1, शिल्पा यादव पत्नी दिनेश टाईप–।।। ब्लाक जे 5, शिवानी गुप्ता टाईप–।।। ब्लाक के6, विपिन पाण्डेय पुत्र स्वामी नाथ टाईप–।।। ब्लाक सी, कै0 संतोष कुमार पुत्र सेवाराम नया पटेल नगर उरई। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली उरई जिला जालौन में अपराध सं0 706/2025 धारा 305, 331(4), भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अन्य अभियुक्त के साथ गिरफ्तार किया गया तथा घटना से संबंधित चोरी का माल बरामद होने एवं विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2), भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में इस आशय का अभिकथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस ने झूठा फसाया है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। कोतवाली उरई की पुलिस ने चार माह 12 दिन बाद मु0अ0सं0 215/2026 धारा 109 बी0एन0एस0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिखायी है। मेडीकल कालेज में सी0सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे हैं, उनसे प्रार्थी के मेडिकल कालेज कैम्पस उरई में प्रवेश करने की साक्ष्य दर्शित नहीं है। अपराध प्रथम श्रेणी

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2026.06.12 12:43:53 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

5. राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. मेरे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, थाने की आख्या एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि उसके द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर राजकीय मेडिकल कालेज परिसर में स्थित कई व्यक्तियों के घर में घुसकर चोरी की गयी, जिसकी सामग्री उसके कब्जे से बरामद की गयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। केस डायरी पर उपलब्ध फर्द बरामदगी के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अन्य सहअभियुक्त के साथ गिरफ्तार किया गया तथा उनके संयुक्त कब्जे से तमंचा, कारतूस व रूपये बरामद किया जाना बताया गया है। केस डायरी के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा संबंधित घरों से सोने चांदी के जेवरात व अन्य सामान की चोरी किया जाना बताया गया है, लेकिन कथित बरामदगी के समय प्रार्थी/अभियुक्त से रूपयों के अलावा अन्य किसी चोरी के सामान की बरामदगी नहीं बतायी गयी है। घटना स्थल पर लगे सी.सी.टी.वी. फुटेज से भी प्रार्थी/अभियुक्त की शिनाख्त नहीं करायी गयी है। कथित चोरी का सामान उनके द्वारा किस व्यक्ति को बेंचा गया और उक्त व्यक्ति से चोरी का खरीदा हुआ माल बरामद किया गया अथवा नहीं, इस संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। प्रकरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 17.04.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मेरे विचार से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनेश पुत्र जोत सिंह निवासी ग्राम काकड़वा, थाना तांड़ा, जिला धार म0प्र0 एवं भारत पुत्र रमेश निवासी ग्राम चामझर, थाना तांड़ा, जिला धार म0प्र0 की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 706/2025 धारा 305, 331(4), 317(2), भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 316/2026, सशर्त स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुव0 1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि की दो–दो **स्थानीय** जमानते संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर उसे इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़ा जाये कि–

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के उपरान्त सद्व्यवहार बनाये रखेगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे।

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस केस के संबंध में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को डरायेंगे, धमकायेंगे नहीं, न ही प्रार्थीगण/अभियुक्तगण केस की सुनवाई के दौरान बिना युक्ति–युक्त कारण के सुनवाई से अनुपस्थित होंगे।

3– यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हैं या बिना किसी कारण के वे अनुपस्थित होते हैं, तो न्यायालय प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने हेतु विधि अनुसार आदेश पारित करेगी।

दिनांक–12.06.2026

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी. 2414